कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 439/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट
थाना–जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक: 04.12.2025

गैर इरादत्तन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ दिनांक 03.12.2025 को ग्राम जमालुद्दीन पट्टी निवासी सुबाष पाल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बताया गया कि उनके पिता हरिश्चन्द्र पाल सड़क किनारे बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पैशन प्रो (UP54 L 3806) के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 489/2025 धारा 281/106(1)/105 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमित कुमार वर्मा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक राज कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 04.12.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा की टीम द्वारा मुकदमें में नामजद वांछित अभियुक्त रामशब्द पुत्र रामानन्द निवासी बलुआ पोखरा, कलाफनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ को अजमतगढ़–जीयनपुर मार्ग से समय 11:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

रामशब्द पुत्र रामानन्द, निवासी बलुआ पोखरा, कलाफनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ, उम्र लगभग 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:

1-मु0अ0सं0 489/2025 धारा 281/106(1)/105 बीएनएस थाना जीयनपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. SHO राज कुमार सिंह
2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा
3. हे0का0 रविन्द्र यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक: 04.12.2025

अपहरण एवं छेड़छाड़ के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना गम्भीरपुर में दर्ज मु0अ0सं0 73/2025 धारा 87/137(2)/74/351(2) BNS में नामजद वांछित अभियुक्त रजनीकान्त उर्फ राजाबाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में आरोप था कि अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़ एवं एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना को अंजाम दिया गया था।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संचालित अभियान के तहत थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रप्रकाश कश्यप मय टीम ने आज दिनांक 04.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रजनीकान्त उर्फ राजाबाबू पुत्र रामसेवक, निवासी हरिश्चन्द्रपुर, को उसके घर से समय 09:35 बजे गिरफ्तार किया अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त
1. रजनीकान्त उर्फ राजाबाबू पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम हरिश्चन्द्रपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
1. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश कश्यप
2. का0 नितेश यादव
3. का0 अभिषेक यादव
थाना गंभीरपुर आजमगढ़